

No.CDN-27011/2/2018-CDN-MCA
Government of India
Ministry of Corporate Affairs

5th Floor, 'A' Wing, Shastri Bhawan
Dr. Rajendra Prasad Road
New Delhi-110 001
Dated: 12.07.2018

A copy of the Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of June, 2018 is enclosed for information.



(Nilratan Das)

Under Secretary to the Govt. of India
Tele: 23389622

Encl. As above.

All Members of the Council of Ministers

Copy, with enclosures, forwarded to:

- 1 Secretary to the President of India, Rashtrapati Bhawan, New Delhi
- 2 Secretary to the Vice- President of India, Vice President Secretariat, New Delhi.
- 3 The Principal Director General, Ministry of I & B, Shastri Bhawan, New Delhi
- 4 Secretary, Deptt. of Telecommunications, Sanchar Bhawan, New Delhi
- 5 Secretary, Deptt. of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi
- 6 Secretary, Deptt. of Statistics, Sardar Patel Bhawan, New Delhi
- 7 Secretary, Legislative Deptt., Shastri Bhawan, New Delhi
- 8 Secretary, Deptt. of Scientific & Industrial Research, C.S.I.R Building, Rafi Marg, New Delhi
- 9 Secretary, Ministry of Environment & Forest, Paryavaran Bhawan, New Delhi
- 10 Secretary, Ministry of Urban Development, Nirman Bhawan, New Delhi
- 11 Secretary, Deptt. of Revenue, North Block, New Delhi
- 12 Secretary, Deptt. of Industrial Development, Udyog Bhawan, New Delhi
- 13 Secretary, Deptt. of Defence Production & Supplies, South Block, New Delhi
- 14 Secretary, Deptt. of Legal Affairs, Shastri Bhawan, New Delhi

Copy to:

- (i) Economic Advisor, MCA
- (ii) PPS to Secretary, Ministry of Corporate Affairs
- (iii) PPS to Additional Secretary, Ministry of Corporate Affairs

Copy, also to: Dir (AK) - To upload the communication on official website of the MCA - under the caption "Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of June, 2018"



(Nilratan Das)

Under Secretary to the Govt. of India

Format for providing monthly information
(Ministry of Corporate Affairs)

Important policy decisions taken and major achievements during the month of June, 2018

(1) Notifications:-

- (i) 05 sections of Companies (Amendment) Act, 2017 have been brought into force vide notification no. S.O. 2422 (E) dated 13.06.2018. Changes to the said notification have been made vide corrigendum no. S.O. 3020 (E) dated 21.06.2018 by replacing "section 22" with "clause (iii) of section 21 and section 22".
- (ii) Vide Notification no. G.S.R. 559 (E) dated 13.06.2018, the Companies (Registered Valuers and Valuation) Second Amendment Rules, 2018 were notified by which an amendment has been made to Rule 19(2) of the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017. The Presidents of ICAI, ICSI and ICoAI as ex-officio members would be a part of the Committee to advise on valuation matters.
- (iii) Two sub-rules in Rule 10 have been substituted in Limited Liability Partnership Rules, 2009 by amending Limited Liability Partnership (Amendment) Rules, 2018 vide notification no. G.S.R. 557(E) dated 12.6.2018. Vide this Notification, the Forms DIR-3 and DIR-6 are also made applicable for obtaining DPIN and making changes in DPIN particulars respectively of designated partner of an existing Limited Liability Partnership (LLP).
- (iv) eforms DIR-3 and DIR-6 have been substituted vide Companies (Appointment and Qualification of Directors) Third Amendment Rules, 2018 notified on 12.6.2018 vide G.S.R. No. 558(E) to bring the effect of amendment in Limited Liability Partnership (Amendment) Rules, 2018 as mentioned in (iii) above. Now, for becoming a partner in LLP, DPIN can be obtained through aforesaid eform DIR-3 and any changes in the particulars of DPIN can be filed in DIR-6.
- (v) Rules no. 13, 15 (6), explanation after clause (ix) in Rule 18(3) and form no. MGT-10 have been omitted and the proviso to rule 22(16) has been substituted vide Companies (Management and Administration) Second Amendment Rules, 2018

file return with respect to change in number of shares held by promoters and top ten shareholders, to file advance copy of the proposed special resolution with the Registrar and to hold extraordinary general meeting at a place within India has been omitted for the purpose of this rule. For the items of business to be transacted by postal ballot, electronic voting also need to be facilitated.

(vi) The Companies (Significant Beneficial Owners) Rules, 2018 has been brought into force vide notification no. G.S.R. 561(E) dated 13.06.2018. Section 90 of the Companies Act, 2013 amended vide Section 22 of the Companies Amendment Act, 2017 has necessitated to prescribe the rules for making declaration by every individual, a trust and person resident outside India to the company about the beneficial interest in shares of a company.

(vii) Paragraph 12 of the Accounting Standard (AS) 11 has been substituted by a new paragraph vide Companies (Accounting Standards) Amendment Rules, 2018 notified on 18.6.2018 vide G.S.R. 569(E). Vide this notification, the remittance from a non-integral foreign operation by way of repatriation of accumulated profits will not form part of a disposal unless it constitutes return of the investment.

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के जून, 2018 माह के मासिक सार की प्रति सूचना हेतु संलग्न है।

नीलरतन दास
(नीलरतन दास)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 23389622

अनुलग्नक - उपरोक्तानुसार

मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य

प्रतिलिपि, संलग्नक सहित, निम्नलिखित को प्रेषित-

1. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
2. भारत के उप राष्ट्रपति के सचिव, उपराष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली
3. प्रधान महानिदेशक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
4. सचिव, दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली
5. सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
6. सचिव, सांख्यिकी विभाग, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली
7. सचिव, विधायी विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
8. सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, सीएसआईआर बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली
9. सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली
10. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
11. सचिव, राजस्व विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
12. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली
13. सचिव, रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
14. सचिव, विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

प्रतिलिपि प्रेषित: (i) आर्थिक सलाहकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(ii) सचिव के प्रधान निजी सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(iii) अपर सचिव के प्रधान निजी सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

प्रतिलिपि प्रेषित: निदेशक (ए.के.) - एमसीए वेबसाइट पर "कारपोरेट कार्य मंत्रालय का जून, 2018 का मासिक सार" के अंतर्गत अपलोड करने के लिए

नीलरतन दास
(नीलरतन दास)

अवर सचिव, भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

जून, 2018 माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्धियां

(1) अधिसूचनाएं:-

(i) कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 की 05 धाराएं दिनांक 13.06.2018 की अधिसूचना संख्या का.आ.2422(अ) द्वारा प्रवृत्त की गई। उक्त अधिसूचना में संशोधन "धारा 22" को "धारा 21 का खंड (iii) और धारा 22" द्वारा प्रतिस्थापित करते हुए दिनांक 21.06.2018 के शुद्धिपत्र संख्या का.आ.3020(अ) द्वारा किए गए।

(ii) दिनांक 13.06.2018 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.559(अ) द्वारा कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) दूसरा संशोधन नियम, 2018 अधिसूचित किए गए, जिससे कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 19(2) में एक संशोधन किया गया। आईसीएआई, आईसीएसआई और आईसीओएआई के अध्यक्ष पदेन सदस्यों के रूप में मूल्यांकन मामलों पर सलाह देने हेतु समिति के अंग होंगे।

(iii) दिनांक 12.06.2008 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.557(अ) द्वारा सीमित देयता भागीदारी (संशोधन) नियम, 2018 को संशोधित करते हुए सीमित देयता भागीदारी नियम, 2009 में नियम 10 के दो उपनियम अंतःस्थापित किए गए हैं। इस अधिसूचना द्वारा मौजूद सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) के पदनामित भागीदार के संबंध में डीपीआईएन प्राप्त करने और डीपीआईएन के विवरण में परिवर्तन करने के लिए प्ररूप डीआईआर-3 और डीआईआर-6 भी लागू किया गया है

(iv) उपयुक्त (iii) में उल्लिखितनुसार सीमित देयता भागीदारी (संशोधन) नियम, 2018 में संशोधन को प्रभावी करने के लिए दिनांक 12.06.2018 को सा.का.नि. संख्या 558(अ) द्वारा कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) तीसरा संशोधन नियम, 2018 द्वारा ई-प्ररूप डीआईआर-3 और डीआईआर-6 अंतःस्थापित किए गए। अब, एलएलपी में भागीदार बनने के लिए, उपयुक्त ई-प्ररूप डीआईआर-3 से डीपीआईएन प्राप्त किया जा सकता है और डीपीआई के विवरण में कोई परिवर्तन डीआईआर-6 में दायर किया जा सकता है।

(v) नियम संख्या 13, 15(6), नियम 18(3) में खंड 9 के बाद स्पष्टीकरण और प्ररूप संख्या एमजीटी-10 का लोप किया गया है और नियम 22(16) के परंतुक को कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) दूसरा संशोधन अधिनियम, 2018 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। इस नियम के प्रयोजनार्थ प्रवर्तकों और दस शीर्ष शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों की संख्या में परिवर्तन से संबंधित विवरण फाइल करने, प्रस्तावित विशेष संकल्प की अग्रिम प्रति रजिस्ट्रार को फाइल करने तथा भारत में किसी स्थान पर असाधारण रूप से साधारण अधिवेशन के आयोजन का लोप किया गया है। मतपत्र द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय की मर्दों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मतदान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाने की आवश्यकता है।

(vi) कं॒पनी (महत्त्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी) नियम, 2018 को दिनांक 13.06.2018 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.561(अ) द्वारा प्रवृत्त किया गया है। कं॒पनी संशोधन अधिनियम, 2017 की धारा 22 द्वारा संशोधित कं॒पनी अधिनियम, 2013 की धारा 90 कं॒पनी के शेयरों में हिताधिकारी लाभ के बारे में प्रत्येक वैयक्तिक, न्यास और भारत से बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा कं॒पनी को घोषणा करने हेतु नियम निर्धारित करना अनिवार्य करती है।

(vii) लेखांकन मानक (एएस) 11 के पैरा 12 को कं॒पनी (लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2018 द्वारा एक नया पैरा प्रतिस्थापित किया गया जो दिनांक 18.06.2018 को सा.का.नि. संख्या 569(अ) द्वारा अधिसूचित किया गया। इस अधिसूचना द्वारा, किसी गैर-एकीकृत विदेशी संचालन से संचित लाभों को प्रत्यावर्तित माध्यम से भेजना तब तक निपटान का रूप नहीं माना जाएगा जब तक कि इसमें निवेश का प्रतिफल न हो।
